न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
100/2015/प्रा.पत्र/2015	30.11.2015	10.05.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश गोयल पुत्र औम प्रकाश गोयल विक्रेता मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी जनता कॉलोनी जिला टोंक राज0
2– मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0
3–श्री हर्ष गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स यूनिवर्सल टेंडिग कम्पनी बी–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 निवासी सी–65 शिवाड एरिया बापू नगर जयपुर राज0
4– मैसर्स यूनिवर्सल टेंडिग कम्पनी बी–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 10.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2015 को समय 12.15 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ.मुकेश गोयल पुत्र औम प्रकाश गोयल विक्रेता मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी जनता कॉलोनी जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान व गोदाम में सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री मुकेश गोयल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मुकेश गोयल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक(Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) के 500–500 ग्राम के 22 नग मे से 4 नग 500–500 ग्राम के पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 नग 500–500 ग्राम सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.वी.ओ. श्री मुकेश गोयल को रू0 120/–अक्षरे एक सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

778

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) 500–500 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1051 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1051 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. मुकेश गोयल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय बिल प्रस्तुत नही कर कार्यालय मे उपस्थित होकर सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) बतोर मैसर्स यूनिवर्सल टेंडिग कम्पनी बी–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 का बिल कमांक 2171 दिनांक 25.05.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2644 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/442/एक्ट/2015/459 दिनांक 10.07.2015 एवं निदेशक, रेफरल लेब गाजियाबाद अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 20.10.2015 के अनुसार मुकेश गोयल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की **धारा 3 (1) (zf)(C)(i)** के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)/ मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)/ मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक(Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व (V) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52 व 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक (Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)/ मिथ्याछाप** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसो बीज(राई) 756 पॉली पैक(Mustard Seed (Rai) 756 Poly pack)का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)/ मिथ्याछाप** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व (V) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52 व 58 के तहत अप्रार्थी श्री मुकेश गोयल पुत्र औम प्रकाश गोयल विक्रेता मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी जनता कॉलोनी जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री हर्ष गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स यूनिवर्सल टेडिग कम्पनी बी–10 चॉदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 निवासी सी–65 शिवाड एरिया बापू नगर जयपुर राज0पर शास्ति 21,000/– (अक्षरे ईक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0